<u>भारतीय संसद</u>

राज्य सभा सचिवालय

221, संसदीय सौध
नई दिल्ली - 110001

सं. आरएस/3/1/2018-स्था.(सा.) **दिनांक 12 सितम्बर, 2018**

<u>परिपत्र</u>

(सं. 26/2018)

विषय: भारत सरकार के आदेश : "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना - 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरें " को अपनाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय से संबंधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.1/2/2018-ई-II (बी) दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को इस सचिवालय में अपना लिया गया है और इसकी एक प्रति राज्य सभा के सभी अधिकारियों/अनुभागों तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अग्रेषित की जाती है|

टी. केनेडी जेसुदासन
अवर सचिव
दूरभाष सं. 23034210

सेवा में,

(i) वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य सभा।
(ii) स्थापना (लेखा) और बजट अनुभाग।
(iii) सभी अधिकारी/अनुभाग//अधिकारियों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक (केवल इंट्रानेट के माध्यम से)।

सं. 1/2/2018-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
07 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 15 मार्च, 2018 के का.ज्ञा.सं.1/1/2018-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता **01 जुलाई, 2018** से मूल वेतन के **7%** की विद्यमान दर से बढ़ाकर **9%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।